

उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

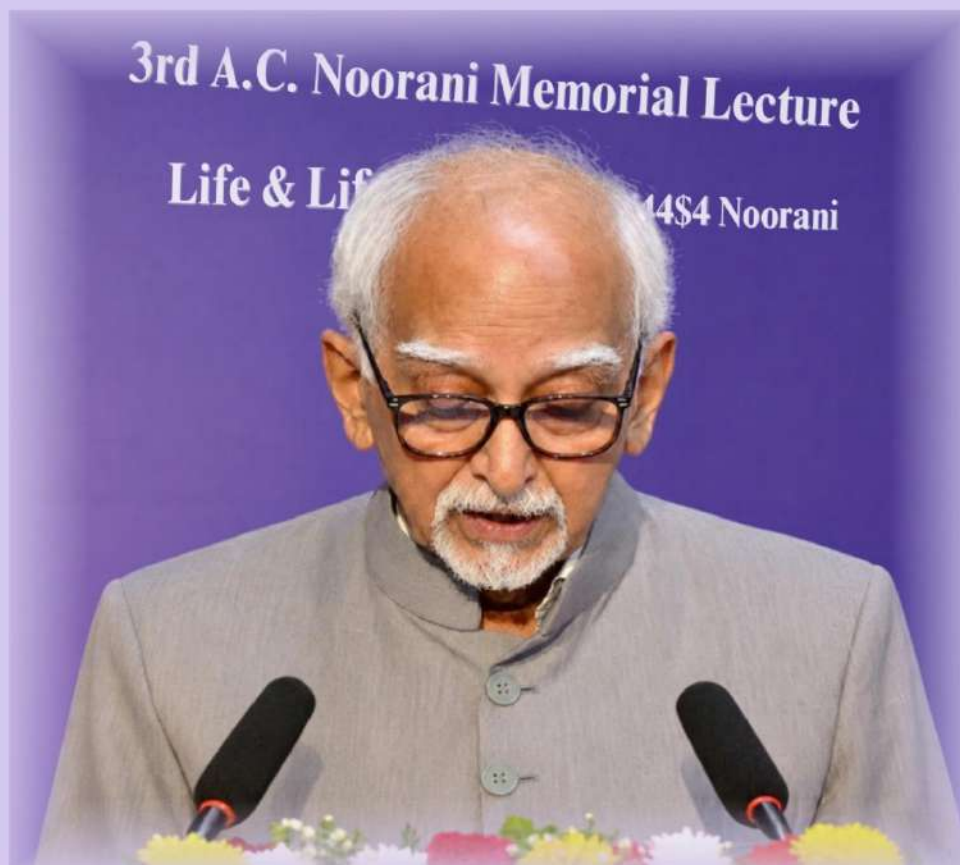
वर्ष 9

अंक 18

16-30 सितंबर 2026

₹ 20/-

पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी फिर विवादों के घेरे में



- पॉपुलर फ्रंट के नेताओं पर कसा कानूनी शिकंजा
- श्रीलंका में ईसाइयों की हत्या के दोषी जिहादियों को उम्रकैद
- हूती विद्रोहियों और सऊदी अरब के बीच युद्ध जारी
- मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा शरीयत बचाओ आंदोलन स्थगित

31

सारांश

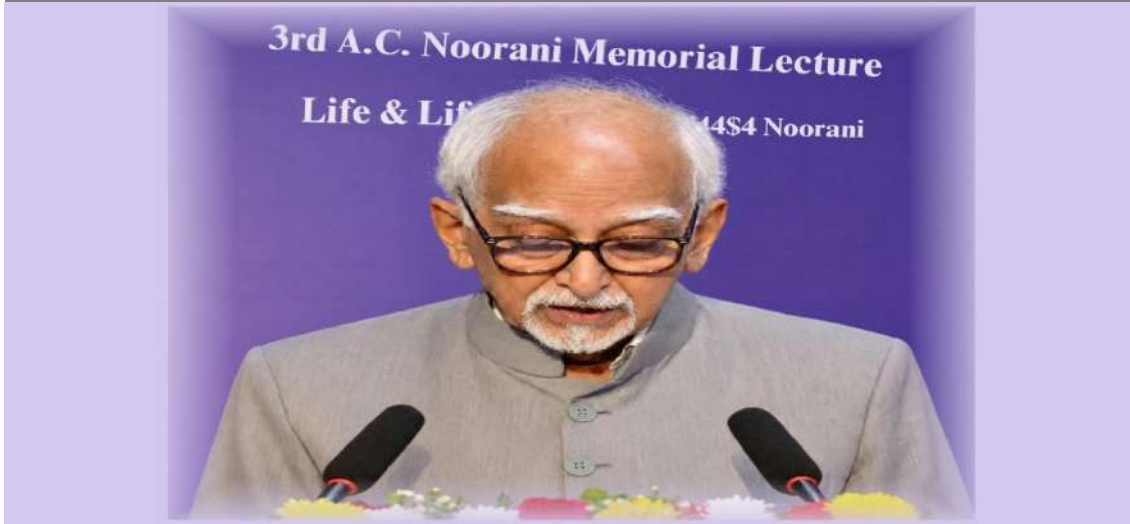
पूर्व उपराष्ट्रपति हमिद अंसारी अपने कट्टरपंथी विचारों के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में उन्होंने इस्लामी विचारक अब्दुल गफूर नूरानी की स्मृति में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह दावा किया है कि देश को असली खतरा साम्यवाद से नहीं, बल्कि हिंदू दक्षिणपंथी सांप्रदायिकता से है। भाजपा के नेताओं ने अंसारी के इस बयान की तीखी आलोचना की है। उल्लेखनीय है कि कुछ साल पहले भारतीय खुफिया एजेंसी 'रॉ' के अधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर यह आरोप लगाया था कि हमिद अंसारी जब ईरान में राजदूत थे तो उन्होंने ईरान सरकार को देश में सक्रिय 'रॉ' के नेटवर्क के बारे में खुफिया जानकारी दी थी, जिसकी कीमत वहां कार्यरत 'रॉ' के कई अधिकारियों को चुकानी पड़ी। इसी तरह से पाकिस्तान के एक विख्यात पत्रकार नुसरत मिर्जा ने खुलासा किया था कि उन्होंने तत्कालीन उपराष्ट्रपति हमिद अंसारी के निमंत्रण पर कई बार भारत की यात्रा की थी और देश के कई संवेदनशील स्थानों का दौरा किया था। वहां से उन्हें जो भी जानकारी मिली, उसे उन्होंने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी 'आईएसआई' के साथ साझा किया था। इसी तरह से हमिद अंसारी के विवादों में रहने की एक लंबी सूची है।

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 17 सितंबर से दिल्ली में एक आंदोलन शुरू करने की घोषणा की थी। हालांकि, बोर्ड ने अब इस आंदोलन को यह कहकर स्थगित कर दिया है कि दिल्ली पुलिस ने उन्हें जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी। इस पर उर्दू अखबारों ने आरोप लगाया है कि स्वयंभू मुस्लिम संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का सरकार के साथ कोई गुप्त समझौता हो गया है, इसलिए उसने आंदोलन को टालने के लिए इस बहाने की आड़ ली है।

हाल ही में श्रीलंका के उच्च न्यायालय ने इस्लामी आतंकवादी संगठन 'नेशनल तौहीद जमात' से संबंधित 15 दोषियों को 200 से 260 वर्ष तक के कठोर कारावास की ऐतिहासिक सजा सुनाई है। इन पर ईसाइयों के त्योहार ईस्टर के मौके पर कोलंबों के तीन गिरजाघरों और कुछ होटलों में आत्मघाती हमला करने का आरोप था। इन हमलों में 270 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें कई भारतीय भी शामिल थे।

ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने लाल सागर की नाकेबंदी करके सऊदी अरब के तेल व्यापार को बड़ी क्षति पहुंचाई है। इसके साथ ही उन्होंने सऊदी अरब के पवित्र शहरों मक्का और मदीना को भी मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया है। सऊदी सरकार ने इस संदर्भ में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से सहायता मांगी थी, लेकिन उन्होंने इस मामले में किसी भी तरह की सीधी सैन्य मदद करने से इनकार कर दिया। सऊदी अरब को यह भी आशा थी कि पाकिस्तान और तुर्किये के साथ हुए हालिया रक्षा समझौतों के तहत ये दोनों देश उसकी सैन्य सहायता करेंगे, लेकिन वे इस मामले में उलझने के लिए तैयार नहीं हुए हैं। निराश होकर अब सऊदी अरब ने चीन और इजरायल से रक्षा सहायता की गुहार लगाई है।

पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी फिर विवादों के घेरे में



देश के पूर्व उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी का विवादों से पुराना नाता रहा है। हाल ही में उनके एक नए बयान ने फिर से एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है।

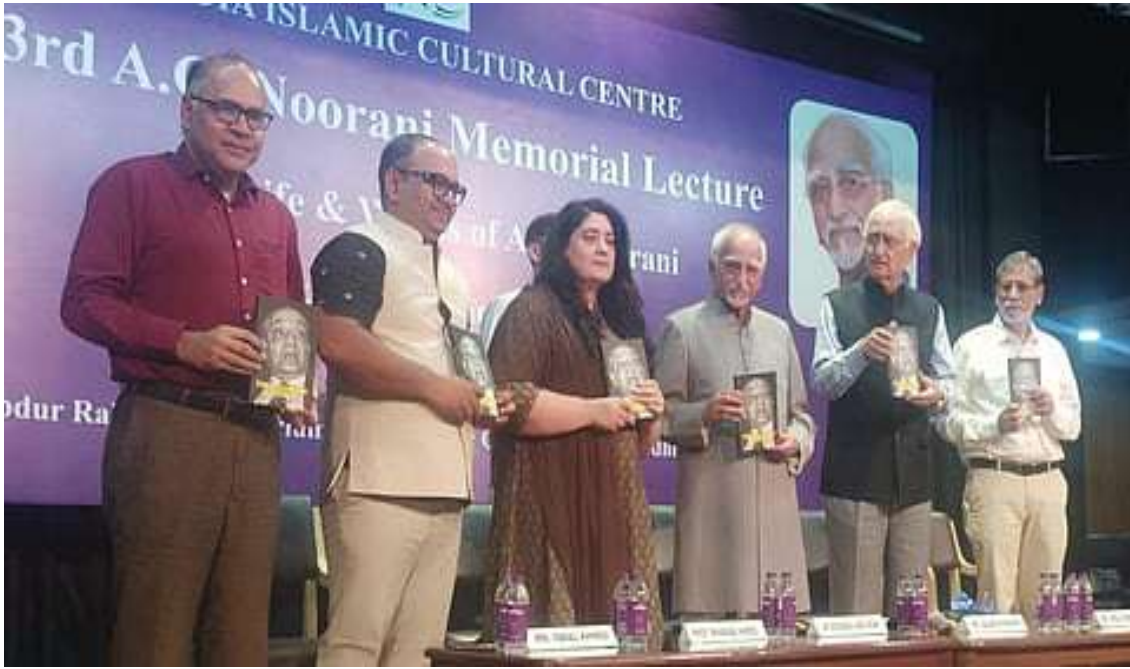
औरंगाबाद टाइम्स (21 सितंबर) के अनुसार नई दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में आयोजित 'ए.जी. नूरानी स्मृति व्याख्यान' को संबोधित करते हुए हामिद अंसारी ने दिवंगत मुस्लिम चिंतक अब्दुल गफूर नूरानी की 2019 में प्रकाशित पुस्तक 'द आरएसएस: ए मेनेस टू इंडिया' का हवाला दिया। उन्होंने बताया कि नूरानी ने इस पुस्तक की प्रस्तावना में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के एक कथन को रेखांकित किया है। इसमें दावा किया गया है कि नेहरू ने विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की एक बैठक में कहा था कि "भारत को असली खतरा साम्यवाद से नहीं, बल्कि हिंदू दक्षिणपंथी सांप्रदायिकता से है।" हामिद अंसारी ने कहा कि नेहरू का यह कथन आज भी देश के अधिकांश मुसलमानों की संघ के प्रति भावनाओं को दर्शाता है।

अपने संबोधन में अंसारी ने राष्ट्रवाद और राजनीति के बदलते तवरों पर चिंता व्यक्त की।

उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में 'नागरिक राष्ट्रवाद' के स्थापित सिद्धांतों को दरकिनार कर 'सांस्कृतिक राष्ट्रवाद' को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि आरएसएस इस विचारधारा के जरिए चुनाव जीतने और सत्ता पर एकाधिकार स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, जिससे नागरिकों में धार्मिक आधार पर विभाजन, असहिष्णुता और असुरक्षा का माहौल बढ़ रहा है।

भाजपा ने इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि हामिद अंसारी की यह टिप्पणी कांग्रेस की हिंदू विरोधी राजनीति और उसके एजेंडे को पूरी तरह बेनकाब करती है।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (22 सितंबर) के अनुसार हामिद अंसारी के बयान पर टिप्पणी करते हुए भाजपा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि दिन-प्रतिदिन उसका झुकाव वामपंथी विचारधारा की ओर बढ़ता जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि आज पूरी कांग्रेस अति-वामपंथ की ओर बढ़ चुकी है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि हामिद अंसारी के इस वक्तव्य ने तीन महत्वपूर्ण काम किए हैं, जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। पहला काम यह



है कि उन्होंने पूरी तरह से यह उजागर कर दिया है कि आज की कांग्रेस 'मुस्लिम लीग-माओवादी कांग्रेस' बन चुकी है। दूसरा काम यह कि उन्होंने यह ऐतिहासिक तथ्य भी साफ कर दिया कि स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू के दौर में भी साम्यवाद को देश के लिए एक खतरा माना जाता था, जबकि इसके विपरीत आज की कांग्रेस ने अपनी पुरानी विचारधारा को तिलांजलि दे दी है और राहुल गांधी इसी कम्युनिज्म की विचारधारा में गोते लगा रहे हैं। तीसरा काम यह कि हामिद अंसारी स्वयं नेहरू का संदर्भ सामने लेकर आए हैं, जिससे यह साबित हो गया है कि आज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संसद के भीतर और बाहर हिंदुओं या हिंदू राष्ट्रवाद को लेकर जो भी बातें करते हैं उसकी पटकथा उनके अपने ही कुनबे, खानदान और नेहरूवादी इतिहास के पन्ने में दबी हुई है।

सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज की कांग्रेस उस वामपंथ की गोद में जाकर बैठ गई है, जिसे उसके ही पूर्वज कभी देश के लिए खतरा बताते थे। उन्होंने

याद दिलाया कि राहुल गांधी ने हाल ही में विदेशी धरती पर जाकर मोहम्मद अली जिन्ना की बनाई हुई मुस्लिम लीग को 'धर्मनिरपेक्ष' होने का प्रमाणपत्र दिया था। अब केरल में उसी मुस्लिम लीग के सहयोग से कांग्रेस अपनी राजनीति चमका रही है और देश में माओवादी व अलगाववादी विचाराधारा को बढ़ावा दे रही है।

उर्दू टाइम्स (21 सितंबर) के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की टिप्पणी को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और खतरनाक करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे बयान भारत की वैश्विक छवि को धूमिल करने और देश की सनातन परंपरा तथा हिंदू संस्कृति को अपमानित करने के लिए दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी ने ग्रेटर नोएडा के एक विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में अंसारी के बयान का उल्लेख करते हुए कहा कि जब कोई व्यक्ति देश के उपराष्ट्रपति जैसे उच्च संवैधानिक पद पर आसीन रहा हो तो उससे यह आशा की जाती है कि वह अपने पद की गरिमा के अनुरूप आचरण करेगा। उससे यह भी अपेक्षा



होती है कि वह भारतीय संविधान का सम्मान करते हुए देश की एकता और अखंडता को प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा।

योगी ने कहा कि यह बात बेहद आपत्तिजनक है कि हामिद अंसारी ने हिंदू परंपराओं को देश के लिए वास्तविक खतरा बताने का प्रयास किया है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि जो लोग भारत, भारतीयता और हिंदुत्व के अपमान को ही अपना एकमात्र लक्ष्य समझ बैठे हैं वे कभी भी 'वसुधैव कुटुंबकम्' की महान अवधारणा और मूल भावना को नहीं समझ सकते।

गौरतलब है कि पूर्व उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी का व्यक्तित्व विवादित रहा है। वर्ष 2022 में पाकिस्तान के एक विख्यात पत्रकार नुसरत मिर्जा ने यह सनसनीखेज खुलासा किया था कि वे अंसारी के निमंत्रण पर कई बार भारत गए थे। उन्होंने दावा किया कि वहां से उन्हें जो भी संवेदनशील जानकारी प्राप्त हुई थी उसे उन्होंने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ साझा किया था। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार नुसरत मिर्जा ने वर्ष 2005 से 2011 के बीच कई बार भारत के दौरे किए थे। मिर्जा ने एक इंटरव्यू में स्पष्ट रूप से यह खुलासा किया था कि 2010 में तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने ही उन्हें

दिल्ली में आयोजित एक सेमिनार में भाग लेने का निमंत्रण दिया था। इसके बाद उन्होंने 2011 में दोबारा भारत का दौरा किया और 'मिल्ली गजट' के प्रकाशक जफरुल इस्लाम खान से मुलाकात की।

नुसरत मिर्जा ने यह भी दावा किया कि पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने उन्हें भारत दौरे के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की थीं। आमतौर पर किसी भी पाकिस्तानी को भारत के केवल तीन शहरों का दौरा करने की अनुमति दी जाती है, मगर उन्हें विशेष तौर पर पांच शहरों की यात्रा करने की इजाजत दी गई थी। उन्होंने स्वीकार किया कि पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने उन्हें कुछ अत्यंत संवेदनशील जानकारियां जुटाने के उद्देश्य से ही भारत भेजा था।

इससे पहले भारतीय खुफिया एजेंसी 'रा' के पूर्व अधिकारी एन.के. सूद ने भी हामिद अंसारी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए थे। वर्ष 2019 में उन्होंने अपने एक ट्वीट में दावा किया था कि "जब मैं तेहरान (ईरान) में नियुक्त था तब अंसारी वहां भारतीय राजदूत के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने ईरान सरकार को वहां सक्रिय भारतीय गुप्तचरों के बारे में गोपनीय जानकारियां लीक कर दी थीं, जिसके कारण इन सभी रां कर्मचारियों के जीवन पर गहरा खतरा पैदा हो गया था। उनकी इसी हरकत की वजह से ईरान में भारतीय गुप्तचरों का पूरा तंत्र छिन्न-भिन्न हो गया था।"

पृष्ठभूमि : हामिद अंसारी को आमतौर पर एक कट्टरपंथी मुसलमान माना जाता है। उनका जन्म 1937 में कोलकाता में हुआ था और उनकी शिक्षा-दीक्षा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हुई थी। 1961 में वे भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुए और एक दर्जन से अधिक देशों में भारतीय

राजदूत रहे। 1984 में उन्हें 'पद्म श्री' सम्मान से सम्मानित किया गया। 2007 में कांग्रेस ने उन्हें उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया और वे जीत गए। 2012 में भी उनके कार्यकाल में पांच वर्ष की वृद्धि की गई। उपराष्ट्रपति पद के विदाई समारोह और अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में अंसारी ने यह कहकर सनसनी फैला दी थी कि देश के मुसलमानों में असुरक्षा की भावना बढ़ रही है।



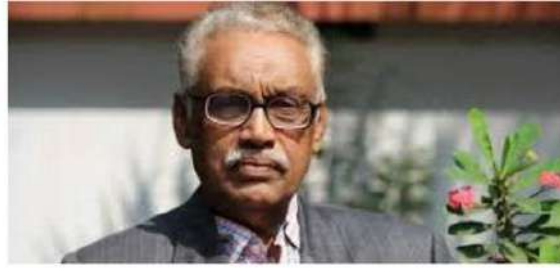
वर्ष 2017 में भारतीय खुफिया एजेंसी 'रॉ' के कुछ पूर्व अधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को एक पत्र लिखकर यह गंभीर आरोप लगाया था कि जब अंसारी ईरान में भारत के राजदूत थे तब उन्होंने रॉ के एक गुप्त ऑपरेशन की जानकारी ईरान सरकार को लीक कर दी थी। इस पर कार्रवाई करते हुए ईरान सरकार ने वहां पर सक्रिय रॉ के कई अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया था, जिनमें संदीप कपूर का नाम प्रमुख है। जब भारतीय विदेश मंत्रालय ने हामिद अंसारी से संदीप कपूर के बारे में जानकारी मांगी तो उन्होंने भारत सरकार को यह झूठी रिपोर्ट दी कि कपूर लापता हैं, जबकि वे इस बात को भलीभांति जानते थे कि संदीप कपूर ईरान सरकार की हिरासत में हैं। अधिकारियों ने यह भी आरोप लगाया था कि रॉ को यह खुफिया सूचना मिली थी कि कश्मीरी युवाओं को ईरान के एक शहर कोम में हथियार चलाने का गुप्त प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अंसारी ने यह महत्वपूर्ण सूचना भी ईरान सरकार को लीक कर दी थी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने 11 दिसंबर 2014 को आधिकारिक तौर पर 21 जून को 'अंतरराष्ट्रीय योग दिवस' घोषित किया था। वर्ष 2015 में भारत सरकार ने जब पहला योग दिवस मनाया तो उस मुख्य सरकारी कार्यक्रम से उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी गायब थे।

उसी वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में राष्ट्रीय ध्वज को हामिद अंसारी द्वारा सलामी न दिए जाने का मामला भी मीडिया में खूब उछला था। जब ग्रेटर नोएडा के दादरी में अखलाक नामक व्यक्ति की भीड़ द्वारा हत्या कर दी गई तब भी अंसारी ने आरोप लगाया था कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं हैं।

कुछ वर्ष पहले जब सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान अनिवार्य किया गया था तब अंसारी ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि वे इसे स्वीकार नहीं करते। 2018 में जब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर लगाने का विवाद पैदा हुआ तब अंसारी ने यूनिवर्सिटी में जिन्ना की तस्वीर लगे रहने का खुलेआम समर्थन किया था। इसी वर्ष ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा देश के प्रत्येक जिले में शरिया अदालतें स्थापित करने के विचार का भी उन्होंने समर्थन किया था। ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस-ए-मुशावरत के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए अंसारी ने शिकायत की थी कि देश के मुसलमानों को मोदी सरकार से न्याय नहीं मिल रहा है और उन्हें विकास की योजनाओं से जानबूझकर वंचित रखा जा रहा है।

पॉपुलर फ्रंट के नेताओं पर कसा कानूनी शिकंजा



मुंबई उर्दू न्यूज (23 सितंबर) के अनुसार प्रतिबंधित इस्लामी अतिवादी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के कई प्रमुख नेता अभी भी जेल में बंद हैं। गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 28 सितंबर 2022 को पीएफआई समेत उसके आठ सहयोगी संगठनों पर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत पांच साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। जिन संगठनों पर प्रतिबंध लगाया गया था, उनमें रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल विमेंस फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन (केरल) शामिल थे।

इससे पहले 22 सितंबर 2022 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने देश के विभिन्न हिस्सों में व्यापक छापेमारी कर पीएफआई से जुड़े सैकड़ों नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार किए गए लोगों में पीएफआई के पूर्व प्रमुख और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) के संस्थापक अध्यक्ष ई. अबुबकर, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव व पत्रकार प्रोफेसर पी.

कोया, पीएफआई के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ओ.एम. ए. सलाम और पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ई.एम. अब्दुल रहमान शामिल थे। तब से पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों के कई प्रमुख नेता जेल में ही बंद हैं।

जुलाई 2026 में दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत में स्थापित विशेष एनआईए अदालत ने प्रतिबंधित पीएफआई और उसके 20 नेताओं के खिलाफ आरोप तय किए थे। विशेष न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने कहा था कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। हालांकि, सभी आरोपियों ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया था। पीएफआई के इन नेताओं पर भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने, आतंकवादी संगठनों के लिए फंड जुटाने, आतंकी गतिविधियों की साजिश रचने और हथियारों का प्रशिक्षण शिविर चलाने से संबंधित बेहद गंभीर आरोप हैं।

ई. अबुबकर के बेटे अमल तहसीन ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया है कि ये सभी नेता वर्षों से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, जिसके बावजूद उन्हें जमानत पर रिहा नहीं किया जा रहा है। दूसरी ओर, बारामूला से निर्दलीय सांसद इंजीनियर राशिद ने भी ई. अबुबकर की



सेहत और उम्र का हवाला देते हुए सांसदों से उनकी बिना शर्त रिहाई के लिए आवाज उठाने की अपील की थी। अपने पत्र में इजीनियर राशिद ने लिखा था कि 75 वर्षीय अबुबकर पार्किंसंस की बीमारी से पीड़ित हैं और उनकी कैंसर की सर्जरी भी हो चुकी है। राशिद के मुताबिक अबुबकर की सेहत इस हद तक खराब हो चुकी है कि उन्हें खाने, बोलने, सुनने और लिखने में कठिनाई आ रही है। राशिद ने सांसदों से अपील की कि वे मानवीय आधार पर अबुबकर की रिहाई का मामला उठाएं और इस सिलसिले में भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी संपर्क करें।

पृष्ठभूमि: पीएफआई का गठन आधिकारिक तौर पर 17 फरवरी 2007 को हुआ था। इस संगठन का निर्माण दक्षिण भारत के तीन अतिवादी मुस्लिम संगठनों के विलय के बाद हुआ था, जिनमें केरल का नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्नटी और तमिलनाडु का मानिथा नीति पसरई शामिल थे। पीएफआई का विस्तार तब तेजी से हुआ जब इस्लामी आतंकवादी संगठन स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) को प्रतिबंधित कर दिया गया, क्योंकि सिमी से जुड़े सदस्य बड़े स्तर पर इस संगठन में शामिल होने लगे।

वर्ष 2009 में पीएफआई की राजनीतिक शाखा के रूप में एसडीपीआई की स्थापना की गई थी। धीरे-धीरे पीएफआई की जड़ें देश के 17

राज्यों में फैल गईं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और एनआईए की जांच रिपोर्टों के अनुसार पीएफआई का उद्देश्य 'विजन 2047' के तहत भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाने का था, जिसके संबंध में जांच एजेंसियों ने छापेमारी के दौरान कई संदिग्ध दस्तावेज भी बरामद किए थे। इसके अतिरिक्त पीएफआई और उससे जुड़े कार्यकर्ताओं के खिलाफ 1300 से अधिक आपराधिक

मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें इसके सदस्य हिंसा, राजनीतिक हत्याओं, गैरकानूनी गतिविधियों और आतंकवाद जैसे मामलों में लिप्त पाए गए थे।

वर्ष 2010 में पीएफआई के सदस्यों ने केरल के एक प्रोफेसर टी.जे. जोसेफ का हाथ सिर्फ इसलिए काट दिया था, क्योंकि उन्होंने कथित तौर पर कॉलेज के एक प्रश्नपत्र में इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद का अपमान किया था। वर्ष 2015 में अदालत ने पीएफआई के 13 सदस्यों को प्रोफेसर जोसेफ पर हुए इस घातक हमले का दोषी पाते हुए सजा सुनाई थी। एनआईए ने 2017 में केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें यह खुलासा किया गया था कि पीएफआई देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा साबित हो रहा है और इस पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। जांच एजेंसियों ने यह भी आरोप लगाया था कि पीएफआई केरल में 'सत्य सारणी' नामक एक केंद्र का इस्तेमाल कर बड़े पैमाने पर जबरन धर्म परिवर्तन करवा रहा था।

वर्ष 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ मंगलुरु में हुआ विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया था, जिसे नियंत्रित करने के लिए पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी और उसमें दो लोगों की मौत हो गई। तब कर्नाटक पुलिस को पीएफआई और उसकी राजनीतिक शाखा एसडीपीआई के खिलाफ सबूत मिले थे कि उन्होंने सोशल मीडिया पर भड़काऊ सामग्री



प्रसारित की थी, जिसके कारण आंदोलन हिंसक हुआ। पीएफआई की इन गतिविधियों को देखते हुए कर्नाटक की तत्कालीन भाजपा सरकार ने केंद्र से इसे प्रतिबंधित करने की सिफारिश की थी। इसी तरह साल 2020 में तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर करीब 15 करोड़ रुपये मूल्य का

सोना जब्त किया गया था। एनआईए और ईडी की जांच में यह खुलासा हुआ कि सोने की तस्करी से होने वाली अवैध कमाई का एक बड़ा हिस्सा देश विरोधी और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था और इस पूरे नेटवर्क से पीएफआई के सदस्य जुड़े हुए थे।

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा शरीयत बचाओ आंदोलन स्थगित

औरंगाबाद टाइम्स (17 सितंबर) के अनुसार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने नई दिल्ली में होने वाले अपने विरोध प्रदर्शन को स्थगित करने की घोषणा की है। बोर्ड के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास ने एक बयान में कहा है कि उन्होंने दिल्ली पुलिस से तीन बार प्रदर्शन के लिए अनुमति मांगी थी और यह आश्वासन भी दिया था कि प्रदर्शनकारियों की संख्या सीमित रखी जाएगी। इसके बावजूद पुलिस ने आंदोलन करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। यही कारण है कि बोर्ड ने फिलहाल इस आंदोलन को स्थगित करने का फैसला किया है।

गौरतलब है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कई अन्य मुस्लिम संगठनों के सहयोग से मुसलमानों के संवैधानिक अधिकारों के हनन,

उनकी अलग पहचान को मिटाने की कथित साजिश, मस्जिदों, मजारों व दरगाहों के ध्वस्तीकरण और झूठे आरोपों में मुस्लिम नौजवानों की अंधाधुंध गिरफ्तारियों के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन चलाने की घोषणा की थी। बोर्ड की इस घोषणा के दूसरे ही दिन कुछ मुस्लिम नेताओं ने इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में आयोजित एक सम्मेलन में मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा और उनके उत्पीड़न को उजागर करने के लिए एक 51 सदस्यीय राष्ट्रीय निगरानी समिति के गठन की भी घोषणा की थी।

औरंगाबाद टाइम्स (23 सितंबर) के अनुसार मुंबई में मुस्लिम कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों और महिला अधिकार संगठनों ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर



चलाए जा रहे 'शरीयत बचाओ' अभियान का कड़ा विरोध किया है। उनका कहना है कि इस अभियान से देश में राजनीतिक और सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा मिलेगा। यह संयुक्त वक्तव्य मुख्य रूप से इंडियन मुस्लिम फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी के जावेद आनंद, भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की जाकिया सोमन और मुस्लिम सत्यशोधक मंडल के शम्सुद्दीन तंबोली ने जारी किया है। इस संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर करने वालों में फिल्म अभिनेता नसीरुद्दीन शाह, डॉ. जीनत शौकत अली, सुल्तान शाहीन, तीस्ता सीतलवाड़, राम पुनियानी, तुषार गांधी, अमोल पालेकर, मल्लिका साराभाई, रत्ना पाठक शाह समेत कई शिक्षाविद, लेखक और पत्रकार शामिल हैं।

मुंबई उर्दू न्यूज (22 सितंबर) में प्रकाशित एक लेख में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर नौटंकी करने का आरोप लगाया गया है। लेखक ने दावा किया है कि भारत में मुस्लिम नेतृत्व का खात्मा कर दिया गया है। अब इस देश में मुसलमानों को अपनी बात कहने या अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज उठाने की न तो हिम्मत है और न ही ताकत। यहां तक कि

सरकार भी इसकी अनुमति नहीं देती है। नफरत और ज्यादाती के इस दौर में सरकार ने मुसलमानों का जीना दूभर कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच जैसे यह होड़ लगी है कि मुसलमानों पर कौन अधिक अत्याचार करता है। यह एक तमाशे की तरह चल रहा है, जहां मदारी बंदर का नाच दिखा रहा है और तमाशबीन मजे ले रहे हैं।

आज देश ऐसे कठिन दौर से गुजर रहा है, जहां किसी को भी अपनी बात कहने या अपनी समस्याओं को उठाने की इजाजत नहीं है। इतिहास गवाह है कि आजादी के बाद से लेकर आज तक देश में कभी ऐसा समय नहीं आया है, जब मुसलमानों को अपनी जुबान तक खोलने की अनुमति न हो। आज जुल्म और ज्यादाती अपनी चरम सीमा पर है। एक तरफ जहां नफरत का माहौल लगातार बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ नफरत के सौदागरों ने मुसलमानों से इस देश में रहने का हक तक छीन लिया है।

सबसे दुख की बात तो यह है कि ऐसे नाजुक समय में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी सरकार के तुष्टिकरण में लगा हुआ है। यही कारण है कि वह मुसलमानों के बीच अपना वर्चस्व तेजी

से खोता जा रहा है। अब उसका एकमात्र काम सरकार की आंखों का तारा बने रहना और अपने व्यक्तिगत हितों की रक्षा करना ही रह गया है। समाचारपत्र ने कहा है कि बोर्ड ने 17 सितंबर से तीन महीने तक देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का एक बड़ा अभियान चलाने की घोषणा की थी, लेकिन ऐन मौके पर पुलिस द्वारा प्रदर्शन की अनुमति न दिए जाने की आड़ लेकर उसने अपना पूरा आंदोलन स्थगित कर दिया।

लेख में कहा गया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बड़ी चालाकी से अपना दामन झाड़ लिया है और आंदोलन स्थगित करने की पूरी जिम्मेदारी पुलिस पर थोप दी है। क्या कोई ऐसा सोच सकता है कि आज की पुलिस और प्रशासन हमें इतनी आसानी से विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति दे देंगे? सच तो यह है कि अगर बोर्ड वास्तव में सक्रिय और गंभीर होता तो आज देश में मुसलमानों की जो बदतर स्थिति है वह कभी नहीं होती। देश में आज कितनी ही मस्जिदें बुलडोजरों से ध्वस्त की जा चुकी हैं और न जाने कितने मदरसे जबरन बंद करा दिए गए हैं। आलम यह है कि कोई भी मुसलमान आज खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है, लेकिन बोर्ड के तमाम बड़े नेता अपने मुंह में दही जमाए बैठे हैं। अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिससे मुसलमानों को ठगने का एक और नया रास्ता खुल गया है। इस चुनावी माहौल की आड़ में मुस्लिम संगठन फिर से मोटी कमाई करेंगे। अब आम मुसलमानों को यह सोचना चाहिए कि वे अपना जीवन और भविष्य ऐसे संगठनों के हाथों में न बेचें, बल्कि खुद अपनी ताकत का इस्तेमाल



करें। जब तक देश के मुसलमान खुद एकजुट होकर मैदान में नहीं उतरेंगे तब तक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे संगठन इसी तरह की नौटंकी करते रहेंगे।

मुंबई उर्दू न्यूज (21 सितंबर) ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा आंदोलन स्थगित किए जाने के फैसले की तीखी आलोचना की है। समाचारपत्र ने कहा है कि विरोध प्रदर्शन कभी भी सरकारी अनुमति या बैसाखियों के सहारे नहीं होते, बल्कि आंदोलन हमेशा दृढ़ निश्चय और संकल्प से किए जाते हैं। समाचारपत्र ने आरोप लगाया है कि देश में मुसलमानों की स्वयंभू संस्था मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जिस तरह से पहले देश भर में आंदोलन शुरू करने की बड़ी-बड़ी घोषणाएं कीं और बाद में ऐन मौके पर यह कहकर कदम पीछे खींच लिए कि पुलिस ने अनुमति नहीं दी है। समाचारपत्र ने पूछा है कि क्या अब सरकार के खिलाफ ही आंदोलन शुरू करने के लिए खुद सरकार से अनुमति लेना जरूरी हो गया है? समाचारपत्र ने तंज कसते हुए कहा है कि बोर्ड की हालत अब एक ऐसे नासमझ बच्चे जैसी हो गई है, जो पहले तो रोता है और बाद में हाथ में लॉलीपॉप मिलते ही चुपचाप बैठ जाता है।

समाचारपत्र का कहना है कि अगर देश के मुसलमान सरकारी अनुमति का इंतजार करते तो दिल्ली में कभी भी शाहीन बाग जैसा आंदोलन

नहीं चल पाता। क्या दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाली काँकरोच जनता पार्टी ने पुलिस की अनुमति मिलने का इंतजार किया था? वैसे भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत तमाम स्वयंभू मुस्लिम संगठन वर्ष 1992 से ही अदालत और सरकार के आदेशों के आगे अपना सिर झुकाते आ

रहे हैं। एक तरह से इन मुस्लिम संगठनों ने सरकार को मुसलमानों के उत्पीड़न की खुली छूट दे रखी है। यह बेहद शर्म की बात है कि आज का मुस्लिम नेतृत्व सिर्फ खोखली बयानबाजी, निंदा प्रस्तावों और प्रेस कांफ्रेंस तक ही सीमित होकर रह गया है।

उज्जैन की शाही मस्जिद पर विवाद



औरंगाबाद टाइम्स (29 सितंबर) के अनुसार मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित शाही मस्जिद के एक हिस्से को हटाए जाने के विरोध में जबरदस्त हंगामा और पथराव हुआ। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। पुलिस ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और हिंसा फैलाने के आरोप में 15 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि भ्रामक और उत्तेजक वीडियो प्रसारित करने के आरोप में चार यूट्यूबर्स को भी हिरासत में लिया गया है।

इंकलाब (2 अक्टूबर) के अनुसार उज्जैन की इस मस्जिद के अग्रभाग को हटाए जाने के दौरान क्रेन का बेल्ट अचानक टूट जाने से मुख्य मीनार का एक हिस्सा ढह गया, जिससे मस्जिद के गुंबद और छत को भी नुकसान पहुंचा है। इस

अप्रत्याशित घटना के बाद इलाके में भारी तनाव व्याप्त हो गया, जिसके चलते पुलिस ने एहतियातन मस्जिद के आसपास के दो किलोमीटर क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी है और आवागमन पर आंशिक रोक लगा दी है।

सरकारी सूत्रों के अनुसार उज्जैन में वर्ष 2028 में आयोजित होने वाले सिंहस्थ कुंभ मेले के मद्देनजर गोपाल मंदिर मार्ग से लेकर कंठाल चौराहे तक करीब 900 मीटर लंबी सड़क को 15 मीटर चौड़ा किया जा रहा है। सड़क के इस चौड़ीकरण परियोजना के कारण कुल 272 निर्माण संरचनाओं और मकानों को हटाया जाना है, जिनमें 80 से अधिक धार्मिक स्थल शामिल हैं। इस परियोजना के दायरे में शाही मस्जिद का करीब छह फीट का हिस्सा आ रहा था। हालांकि,

मस्जिद प्रबंधन समिति और प्रशासन के बीच हुई आपसी बातचीत के बाद मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ में एक लिखित समझौता हुआ। इस समझौते के तहत मुस्लिम पक्ष ने मस्जिद का वह हिस्सा खुद हटाने पर सहमति दे दी थी। इससे पहले प्रबंधन समिति ने इस परियोजना को स्थगित करने के लिए जो याचिका दायर की थी, उसे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था।

मुंसिफ (28 सितंबर) के अनुसार मस्जिद के एक हिस्से को गिराए जाने से रोकने के लिए स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लोग पिछले दो सप्ताह से वहां डेरा डाले हुए थे। मस्जिद के इमाम और प्रबंधन समिति का दावा है कि यह मस्जिद लगभग 636 साल पुरानी है, जबकि प्रशासन इसे 100 साल पुरानी मानता है।

उर्दू टाइम्स (2 अक्टूबर) के अनुसार देश के विभिन्न हिस्सों में मस्जिदों और मजारों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाइयों के खिलाफ मुसलमानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर उग्र प्रदर्शन किया। इस अवसर पर पुलिस ने विरोध प्रदर्शन कर रहे कई प्रमुख मुस्लिम नेताओं को हिरासत में ले लिया, जिनमें समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन, सांसद जियाउर रहमान बर्क, सांसद मोहिबुल्लाह नदवी और जमात-ए-इस्लामी के उपाध्यक्ष मलिक मोतसिम खान शामिल हैं।

मुंबई उर्दू न्यूज (1 अक्टूबर) के अनुसार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने एक बयान जारी कर उज्जैन के मुसलमानों और विशेष रूप से बुर्कापोश महिलाओं द्वारा मस्जिद को बचाने के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की है।

हमारा समाज (26 सितंबर) के अनुसार जमीयत उलेमा के अध्यक्ष महमूद मदनी ने कहा है वर्तमान तानाशाह सरकार संविधान की धज्जियां



उड़ाकर मुसलमानों के धार्मिक स्थलों को मिटाने पर तुली हुई है। इसे देखते हुए वे शीघ्र ही राष्ट्रपति से मिलकर इस मामले में हस्तक्षेप की मांग करेंगे।

एतेमाद (30 सितंबर) ने अपने संपादकीय में इस बात की निंदा की है कि मध्य प्रदेश के उज्जैन की ऐतिहासिक शाही मस्जिद के एक हिस्से को सड़क चौड़ीकरण के नाम पर ध्वस्त कर दिया है। समाचारपत्र ने लिखा है कि अयोध्या की बाबरी मस्जिद के बाद मस्जिदों पर कब्जे और उन्हें ध्वस्त करने का जो सिलसिला शुरू हुआ था, उसमें दिन-प्रतिदिन तेजी आती जा रही है।

हिंदुस्तान (1 अक्टूबर) ने आरोप लगाया है कि सरकार विकास की आड़ में मुसलमानों के धार्मिक स्थलों को नेस्तनाबूद कर रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि आज का सत्तारूढ़ दल जानबूझकर मस्जिदों, मकबरों और दरगाहों को तबाह करके देश में मुसलमानों और इस्लाम के अस्तित्व को खत्म करने पर तुला हुआ है।

हमारा समाज (17 सितंबर) ने आरोप लगाया है कि वर्तमान सरकार ने मुसलमानों के प्रति नफरत की भावना में अंधे होकर वर्ष 2014 से लेकर 2026 तक सैकड़ों मस्जिदों, दरगाहों और मदरसों को ध्वस्त कर दिया है। अब तक इस संदर्भ में एक हजार से अधिक ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। पिछले 45 दिनों में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में



43 से अधिक मस्जिदों को ध्वस्त किया जा चुका है। यह कार्रवाई मुस्लिम विरोधी रणनीति का हिस्सा है। सत्तारूढ़ दल के निर्देशक आरएसएस भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने पर कटिबद्ध है। असम और उत्तर प्रदेश में अब तक 500 से अधिक मदरसों को या तो सील किया जा चुका है या उन्हें ध्वस्त कर दिया गया है।

उर्दू टाइम्स (29 सितंबर) ने अपने संपादकीय में आरोप लगाया है कि भाजपा ने सत्ता में आने के बाद समाज में मुसलमानों के खिलाफ जो जहर घोलना शुरू किया था, वह अब इतना फैल गया है कि भीड़ मुसलमानों को सरेआम मौत के घाट उतार देती है। अयोध्या की बाबरी मस्जिद के बाद देश के सांप्रदायिक तत्वों को मस्जिदों को

गिराने का एक नया रास्ता मिल गया है। जब से भाजपा सत्ता में आई है, कोई भी दिन ऐसा नहीं बीतता जब मस्जिदों, दरगाहों और मजारों को निशाना न बनाया जाता हो। मौजूदा हालात को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि कानून और संविधान भी सत्तारूढ़ दल के नियंत्रण में आ गए हैं। यही कारण है कि देश की न्याय प्रणाली पर से मुसलमानों का भरोसा अब लगभग समाप्त हो गया है।

मुंसिफ (29 सितंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि उज्जैन में आगामी सिंहस्थ कुंभ मेले को देखते हुए सड़कों के विस्तार का जो काम चल रहा है, उसके तहत कई धार्मिक ढांचों को हटाया गया है। उज्जैन की शाही मस्जिद प्रबंधन कमेटी ने प्रशासन को यह सुझाव दिया था कि इस सड़क को समीप के एक बाग से निकाला जाए, लेकिन प्रशासन ने इस सुझाव को ठुकरा दिया। समाचारपत्र ने आरोप लगाया है कि वर्तमान सत्तारूढ़ दल मुसलमानों के उपासना स्थल, उनके लिबास, खान-पान, वक्फ और धार्मिक सम्मेलन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। उज्जैन की इस घटना से यह साफ हो गया है कि आज की तानाशाह सरकार मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को हर कीमत पर कुचलना चाहती है।

राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर विवाद जारी

इंकलाब (2 अक्टूबर) के अनुसार ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन (बामसेफ) के पूर्व अध्यक्ष बी.डी. बोरकर ने राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' के सभी छह छंदों के गायन को अनिवार्य करने के केंद्र सरकार के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है। बोरकर ने कहा है कि केंद्र सरकार का यह

फैसला सेक्युलरिज्म और उन नागरिकों के बुनियादी अधिकारों का हनन है, जो हिंदू धर्म का पालन नहीं करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि 'आनंदमठ' एक ऐसा उपन्यास है, जो मुस्लिम विरोधी हिंसा और घृणात्मक लेखन से भरा हुआ है। इसमें वंदे मातरम के सभी छह छंदों को एक गृहयुद्ध के गीत के रूप में पेश किया गया है। यही कारण है कि



महात्मा गांधी और रबीन्द्रनाथ टैगोर जैसे नेताओं को इसके सभी छंदों के गायन पर आपत्ति थी। बाद में इसके शुरुआती केवल दो छंदों के गायन का ही फैसला किया गया था।

गौरतलब है कि कर्नाटक संगीत के प्रसिद्ध गायक टी.एम. कृष्णा ने भी वंदे मातरम् के सभी छह छंदों के गायन को अनिवार्य करने और इसे राष्ट्रगान 'जन गण मन' के समान कानूनी सुरक्षा देने के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि जो लोग धार्मिक या किसी अन्य कारण से वंदे मातरम् नहीं गाना चाहते, उन्हें सजा नहीं दी जानी चाहिए।

गौरतलब है कि संसद द्वारा हाल ही में 'राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2026' पारित किया गया था, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 अगस्त 2026 को अपनी मंजूरी दे दी थी। इसके बाद यह कानून लागू हो गया। इस संशोधित कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् के गायन को रोकता है तो उसे तीन साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। टी.एम. कृष्णा ने अपनी याचिका में वंदे मातरम् के अंतिम चार छंदों पर आपत्ति दर्ज की है, क्योंकि इनमें हिंदू देवी

दुर्गा और लक्ष्मी की वंदना की गई है। कृष्णा का तर्क है कि बहुधार्मिक देश में इन छंदों को गाने के लिए मजबूर करना संविधान में दी गई धार्मिक स्वतंत्रता और देश के सेक्युलर ढांचे के अनुरूप नहीं है, इसलिए किसी भी ऐसे व्यक्ति को इसे गाने पर विवश नहीं किया जा सकता जिसकी धार्मिक आस्था इसकी अनुमति नहीं देती।

इस याचिका पर सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सर्वोच्च न्यायालय से यह अनुरोध किया था कि इस संदर्भ में केंद्र सरकार को नोटिस जारी न किया जाए, क्योंकि इस संवेदनशील मामले को अनावश्यक रूप से सनसनीखेज बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम् के केवल दो छंद गाए जाएं या सभी छह, इसका फैसला सिर्फ सरकार ही कर सकती है। दूसरी ओर, टी.एम. कृष्णा के वकील एस. मुरलीधर ने दलील दी कि इस तरह के संवेदनशील कानून को अंतिम रूप देने से पहले सरकार को जनता की राय लेनी चाहिए थी। इस पर न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची ने कहा कि इस तर्क पर विचार किया जाना चाहिए।

अदालत ने इस संबंध में वर्ष 1986 के मुकदमे 'बिजो इमैनुएल बनाम केरल राज्य' के सिलसिले में तय किए गए सिद्धांत का भी उल्लेख



किया। उस मामले में तीन छात्रों ने अपनी धार्मिक आस्था के अनुसार राष्ट्रगान नहीं गाया था, लेकिन वे इसके सम्मान में खड़े रहे थे। सर्वोच्च न्यायालय ने तब राज्य सरकार द्वारा उनके खिलाफ की गई दंडात्मक कार्रवाई को रद्द करते हुए कहा था कि केवल राष्ट्रगान या राष्ट्रीय गीत न गाने के आधार पर किसी को सजा नहीं दी जा सकती, बशर्ते उन्होंने उसका कोई अपमान न किया हो।

इंकलाब (27 सितंबर) के अनुसार चंडीगढ़ में श्री गुरु सिंह सभा, ऑल इंडिया पीस मिशन और इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स द्वारा वंदे मातरम से संबंधित एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी में देश के विभिन्न हिस्सों से आए विचारकों, विधिवेत्ताओं और धार्मिक व सामाजिक नेताओं ने हिस्सा लिया। इसकी अध्यक्षता पटना उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जस्टिस इकबाल अहमद अंसारी ने की। वहीं, दिल्ली से इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स के अध्यक्ष मोहम्मद अदीब विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए।

श्री गुरु सिंह सभा के अध्यक्ष प्रो. शाम सिंह ने कहा कि वंदे मातरम को राष्ट्रगान 'जन गण मन' के बराबर संवैधानिक मान्यता मिलने से

अल्पसंख्यकों में चिंता की भावना व्याप्त हो गई है। भारत एक बहुधार्मिक देश है, इसलिए किसी भी धर्म की मान्यताओं को दूसरे धर्म के लोगों पर नहीं थोपा जाना चाहिए। इस संगठन के महासचिव डॉ. खुशहाल सिंह ने कहा कि देश में बहुसंख्यक वर्ग के राजनीतिक वर्चस्व के कारण सिखों और मुसलमानों में असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है, इसलिए यह जरूरी है कि इन वर्गों को संविधान में जो धार्मिक व नागरिक अधिकार दिए गए हैं, उनके संरक्षण के लिए विशेष रूप से प्रयास किए जाएं।

मोहम्मद अदीब ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद मुसलमानों ने भारत में रहकर देश की लोकतांत्रिक और सेक्युलर व्यवस्था में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है। मुसलमानों ने वंदे मातरम के उन अंशों का हमेशा विरोध किया है, जिनका संबंध देवी-देवताओं की वंदना से है। जस्टिस इकबाल अहमद अंसारी ने कहा कि वंदे मातरम और आनंदमठ शुरुआत से ही विवादों में रहे हैं। संविधान के अनुसार भारत एक सेक्युलर देश है, इसलिए इसमें किसी भी नागरिक को उसकी धार्मिक आस्था के विरुद्ध किसी भी गीत को गाने पर मजबूर नहीं किया जा सकता है।

श्रीलंका में ईसाइयों की हत्या के दोषी जिहादियों को उम्रकैद



उर्दू टाइम्स (24 सितंबर) के अनुसार श्रीलंका की एक विशेष उच्च न्यायालय पीठ ने ईसाइयों के पवित्र धार्मिक पर्व ईस्टर पर हुए भीषण सिलसिलेवार आत्मघाती बम धमाकों की साजिश रचने और आतंकवादियों की मदद करने के मामले में 15 दोषियों को 200 से 260 वर्ष तक के कठोर कारावास की ऐतिहासिक सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषियों की सारी संपत्ति को भी जब्त करने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि 21 अप्रैल 2019 को ईस्टर के मौके पर इस्लामी आतंकवादी संगठन आईएसआईएस से जुड़े स्थानीय आतंकवादी संगठन नेशनल तौहीद जमात के आत्मघाती हमलावरों ने कोलंबो समेत देश के तीन कैथोलिक गिरजाघरों और तीन होटलों को निशाना बनाकर सिलसिलेवार धमाके किए थे। इन धमाकों में 270 निर्दोष लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें 45 विदेशी नागरिक और 11 भारतीय भी शामिल थे। इसके अतिरिक्त इस आतंकी हमले में 500 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। पिछले पांच वर्षों से इस मामले की सुनवाई

श्रीलंका उच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की विशेष पीठ के समक्ष चल रही थी।

कोलंबो की विशेष उच्च न्यायालय पीठ ने कुल 24 आरोपियों में से 15 को दोषी करार दिया है, जबकि नौ को बरी कर दिया है। इस पूरे गिराह का मुख्य सरगना मोहम्मद नौफर उर्फ नौफर मौलवी है। जांच के अनुसार उसके संबंध कुख्यात इस्लामी आतंकवादी संगठन आईएसआईएस की विचारधारा से प्रेरित और स्थानीय आत्मघाती हमलावरों के सरगना जहरान हाशिम से थे। गौरतलब है कि जहरान हाशिम उन मुख्य आत्मघाती हमलावरों में शामिल था, जिसने ईस्टर के दिन कोलंबो के एक होटल में खुद को विस्फोटक पदार्थों से उड़ा लिया था। इससे पहले श्रीलंका की इसी अदालत द्वारा खुफिया सूचनाएं मिलने के बावजूद सुरक्षा में घोर लापरवाही बरतने और उचित कार्रवाई न करने के आरोप में देश के दो पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों (पूर्व रक्षा सचिव और पूर्व पुलिस महानिदेशक) को भी मौत की सजा सुनाई जा चुकी है।

अदालत में यह भी आरोप लगाया गया कि खुफिया सूत्रों ने इन धमाकों की पूर्व सूचना सरकार को दे दी थी, लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरीसेना और तत्कालीन प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने इन सूचनाओं पर कोई त्वरित

कार्रवाई नहीं की और न ही संबंधित अधिकारियों को कोई सख्त निर्देश दिए। यह मुकदमा श्रीलंका की राजनीति में बेहद चर्चित रहा है, जिसके कारण तत्कालीन राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरीसेना की पार्टी को सत्ता से हाथ धोना पड़ा था।

इटली के स्कूलों में बुर्का और नकाब पर प्रतिबंध



सियासत (21 सितंबर) के अनुसार इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने घोषणा की है कि उनकी सरकार ने देश भर के स्कूलों में बुर्का और नकाब पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। इसके अतिरिक्त सरकारी स्कूलों की कक्षाओं में इतालवी भाषा की सीमित समझ रखने वाले विदेशी मूल के छात्रों की संख्या को भी अधिकतम 30 प्रतिशत तक सीमित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। सरकार ने यह भी अनिवार्य किया है कि इटली में रहने वाले जिन विदेशी मूल के छात्रों को स्कूल में तालमेल बिठाने या भाषा सीखने में कठिनाई आ रही है,

उनके माता-पिता को भी अनिवार्य रूप से मुफ्त इतालवी भाषा की शिक्षा प्राप्त करनी होगी।

प्रधानमंत्री मेलोनी ने यह घोषणा रोम में अपनी राजनीतिक पार्टी 'ब्रदर्स ऑफ इटली' के युवा विंग के सम्मेलन को संबोधित करते हुए की। उन्होंने स्पष्ट किया कि इटली में रहने वाले हर व्यक्ति को देश की भाषा सीखनी होगी और यहां की संस्कृति व कानूनों का सम्मान करना होगा ताकि वे इतालवी समाज में बेहतर ढंग से घुल-मिल सकें। उन्होंने जोर देकर कहा कि स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने वाले सभी छात्र-छात्राओं को खुले चेहरे के साथ आना होगा और किसी को भी परंपरा के नाम पर चेहरा छिपाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इस नए नियम के अनुसार जो छात्र-छात्राएं इस नियम का उल्लंघन करेंगे, उनके अभिभावकों पर 200 से 1000 यूरो तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इटली के शिक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार इस समय देश के स्कूलों में कुल नामांकित विद्यार्थियों में से लगभग 12 प्रतिशत छात्र विदेशी मूल के हैं।

म्यांमार सेना का रोहिंग्याओं पर हवाई हमला

इंकलाब (29 सितंबर) के अनुसार म्यांमार की वायु सेना ने रोहिंग्या बहुल क्षेत्र रखाइन प्रांत के एक शहर पर भीषण हवाई हमले किए। इस हमले

में कम से कम 50 लोग मारे गए और लगभग 100 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हमले की पुष्टि स्थानीय विद्रोही संगठन अराकान आर्मी



ने की है। समाचारपत्र के अनुसार म्यांमार में वर्ष 2021 में हुए सैन्य तखतापलट के बाद से देशव्यापी गृहयुद्ध जारी है। म्यांमार की सेना के खिलाफ वहां के विद्रोही गुट और जातीय सशस्त्र संगठन वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। म्यांमार सेना के एक प्रवक्ता ने दावा किया है कि विद्रोहियों के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह सैन्य कार्रवाई की गई है।

गौरतलब है कि म्यांमार की वायु सेना ने हाल ही में इस क्षेत्र में स्थित एक अस्पताल पर भी हमला किया था, जिसमें कम से कम 33 लोग मारे गए थे। अराकान आर्मी ने आरोप लगाया था कि म्यांमार की सेना ने जानबूझकर इस अस्पताल को निशाना बनाया, जिसमें मरीज और डॉक्टर दोनों मारे गए। दूसरी ओर, म्यांमार सेना ने दावा किया था कि उसने अराकान आर्मी के एक खुफिया अड्डे पर हमला किया था, जिसे गुप्त रूप से अस्पताल परिसर से संचालित किया जा रहा था।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (25 सितंबर) के अनुसार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिवेशन के इतर एक उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए रोहिंग्या शरणार्थियों की समस्या को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया है। इस संकट के स्थाई समाधान के लिए

उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से मानवीय दृष्टिकोण अपनाकर सहयोग करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री रहमान ने विस्थापित रोहिंग्या संकट को समाप्त करने के लिए एक पांच सूत्रीय कार्ययोजना पेश की। इस योजना में उन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों की म्यांमार में सुरक्षित, सम्मानजनक और स्वैच्छिक वापसी के लिए एक स्पष्ट व विश्वसनीय रौडमैप तैयार करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया के देशों की यह जिम्मेदारी है कि वे रोहिंग्याओं के बुनियादी अधिकारों, सुरक्षा की गारंटी और उनकी वापसी के लिए म्यांमार सरकार पर कड़ा दबाव बनाएं।

रहमान ने अपने संबोधन में कहा कि बांग्लादेश में शरण लिए हुए 18 लाख से अधिक रोहिंग्याओं की मानवीय सहायता के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आवश्यक फंड की कमी हो रही है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश नौ साल से अधिक समय से इन शरणार्थियों को आश्रय दिए हुए है और उन्हें भोजन व अन्य सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। उन्होंने स्वीकार किया कि इनके कारण बांग्लादेश में सुरक्षा चुनौतियां पैदा हो रही हैं, जिनमें मानव तस्करी और मादक पदार्थों की तस्करी शामिल है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस समस्या का तुरंत समाधान नहीं किया गया तो

इससे दक्षिण-पूर्वी एशिया के अनेक देशों में विस्फोटक स्थिति पैदा हो सकती है।

इस सम्मेलन का आयोजन बांग्लादेश और गांबिया ने संयुक्त रूप से किया था, जिसमें 60 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। गांबिया के प्रतिनिधि ने कहा कि रोहिंग्या समस्या म्यांमार से

शुरू हुई थी और उसके लिए म्यांमार सरकार पूरी तरह दोषी है। म्यांमार की सेना और अराकान आर्मी द्वारा अपने ही देश के नागरिकों के खिलाफ जो अभियान चलाया गया था, उसके कारण लाखों रोहिंग्या मुसलमानों को विस्थापित होकर विश्व के विभिन्न देशों में शरण लेनी पड़ी है।

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भीषण युद्ध



अवधनामा (22 सितंबर) के अनुसार पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा पर जारी गतिरोध के कारण तनाव अब चरम पर पहुंच गया है, जिसके चलते सीमावर्ती क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच भारी गोलीबारी और हिंसक झड़पें शुरू हो गई हैं। इन हमलों में मारे गए लोगों की संख्या को लेकर दोनों पक्षों की ओर से विरोधाभासी दावे किए जा रहे हैं। अफगानिस्तान सरकार का आरोप है कि पाकिस्तानी वायु सेना ने अफगान सीमा के भीतर घुसकर हवाई हमले किए हैं, जिनमें भारी संख्या में आम नागरिकों की जान गई है। इसके विपरीत, पाकिस्तानी सैन्य प्रवक्ता ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा है कि उनके लड़ाकू विमानों ने केवल अफगानिस्तान में सक्रिय आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया है। पाकिस्तानी वायु

सेना ने इस कार्रवाई के दौरान कुनार, नूरिस्तान, पक्तिरिया और पक्तिरका जैसे सीमावर्ती प्रांतों को निशाना बनाया है।

पाकिस्तान का दावा है कि इन सटीक हमलों में 28 से अधिक आतंकवादी मारे गए हैं। दूसरी तरफ, अफगानिस्तान सरकार के मुख्य प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने इन हमलों की कड़ी शब्दों में निंदा करते हुए कहा है कि पाकिस्तान के इन हमलों में आम नागरिक मारे गए हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। मुजाहिद ने इन हमलों की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए चेतावनी दी है कि अफगानिस्तान इन आक्रामक कार्रवाइयों का मुंहतोड़ जवाब देगा।

पाकिस्तानी सैन्य प्रवक्ता ने बयान जारी कर कहा है कि यह सैन्य कार्रवाई अफगान समर्थित



आतंकवादियों द्वारा पाकिस्तान के कोहाट में एक मस्जिद पर किए गए आत्मघाती हमले के जवाब में की गई है। मस्जिद में हुए उस भीषण बम विस्फोट में 31 नमाजी मारे गए थे, जिनमें 16 पुलिसकर्मी भी शामिल थे।

एतेमाद (24 सितंबर) के अनुसार पाकिस्तानी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस्लामाबाद में दावा किया है कि अफगानिस्तान से आए आतंकवादियों के एक गिरोह ने सीमा पर घुसपैठ की कोशिश की, जिसे पाकिस्तानी सेना ने विफल कर दिया है। इस जवाबी कार्रवाई में प्रतिबंधित संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) और आईएसआईएस से जुड़े कई आतंकवादी मारे गए हैं। पाकिस्तानी सेना ने सीमा पार से आए आठ ड्रोनो को मार गिराया है, जिसमें से चार को तोरखम सीमा पर और चार को कोहाट के पहाड़ी इलाकों में विमानभेदी तोपों द्वारा निशाना बनाया गया। वहीं, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में भाग लेने गए पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने यह गंभीर आरोप लगाया कि पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किए गए ये आधुनिक ड्रोन भारत द्वारा आपूर्ति किए गए थे।

एतेमाद (20 सितंबर) के अनुसार 'अल अरबिया' को दिए एक विशेष साक्षात्कार में

अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के मुख्य प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर पाकिस्तान ने उनके देश की संप्रभुता का उल्लंघन कर हवाई या जमीनी हमले बंद नहीं किए तो अफगानिस्तान मजबूरन सख्त सैन्य कार्रवाई करेगा। मुजाहिद ने पाकिस्तान के इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया कि अफगान

धरती पर किसी भी आतंकवादी गिरोह को शरण दी जा रही है। मुजाहिद ने आगे कहा कि पाकिस्तान में इस समय बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध प्रांतों में वहां के वर्तमान शासकों की गलत नीतियों और बेकाबू महंगाई के खिलाफ जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है। अपनी इस आंतरिक बदहाली की स्थिति पर काबू पाने में विफल रहने के कारण ही पाकिस्तान के शासक अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए अफगानिस्तान को दोषी ठहरा रहे हैं।

अवधनामा (28 सितंबर) के अनुसार अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने दावा किया है कि उनकी सेना ने नूरिस्तान सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ करने वाले एक सशस्त्र गिरोह के प्रयासों को विफल कर दिया है। इस मुठभेड़ में 28 आतंकवादी मारे गए हैं और 32 घायल हुए हैं, जिनका संबंध आतंकवादी संगठन आईएसआईएस से बताया जा रहा है। अफगान प्रवक्ता के मुताबिक मारे गए आतंकवादियों में अधिकांश अफगानिस्तान की पूर्व सरकार से जुड़े लोग हैं, जिन्हें पाकिस्तान ने आधुनिक हथियारों से लैस करके अफगानिस्तान में हिंसा फैलाने के उद्देश्य से भेजा था।

पाकिस्तान में पीटीआई का 'लॉन्ग मार्च'

अवधनामा (27 सितंबर) के अनुसार पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने पहले 27 सितंबर से देश की राजधानी इस्लामाबाद के घेराव की घोषणा की थी, जिसे बाद में स्थगित कर 4 अक्टूबर को करने का फैसला किया गया। पीटीआई ने यह मार्च जेल में बंद इमरान खान की तत्काल रिहाई की मांग को लेकर आयोजित करने का फैसला किया था। गौरतलब है कि 73 वर्षीय इमरान खान वर्ष 2023 से रावलपिंडी की एक जेल में बंद हैं, जिन्हें भ्रष्टाचार के विभिन्न मामलों में विशेष अदालत ने सजा सुनाई है।



चट्टान (26 सितंबर) के अनुसार इस मार्च को विफल बनाने के लिए पाकिस्तान सरकार ने व्यापक स्तर पर कड़े प्रबंध किए थे। लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाली सभी सड़कों को सेना के हवाले कर दिया गया और चप्पे-चप्पे पर टैंक तैनात कर दिए गए। पेशावर से इस्लामाबाद तक की 180 किलोमीटर की सड़क के प्रबंधन की जिम्मेदारी भी सेना को सौंपी गई। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पाकिस्तानी सेना के एक लाख से अधिक कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई। अकेले इस्लामाबाद में 25 हजार सैनिक तैनात किए गए और सड़कों को ब्लॉक करने के लिए करीब पांच हजार कंटेनर लगाए गए। देश भर में स्कूल-कॉलेज अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिए गए, अस्पतालों में आपातकाल घोषित कर दिया गया और डॉक्टरों, पुलिसकर्मियों व सैनिकों की छुट्टियां रद्द कर दी गईं।

'अल जजीरा' की एक रिपोर्ट के अनुसार इस मार्च को रोकने के लिए सरकार ने इमरान खान के दो हजार से अधिक समर्थकों को गिरफ्तार किया है, जिनमें इमरान खान की तीनों

बहनें- अलीमा खानम, उज्मा खान और नोरीन नियाजी भी शामिल हैं। पीटीआई के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के अध्यक्ष जुनैद अकबर ने सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सरकार इमरान खान के समर्थकों को कुचलने के लिए ऐसे हथकंडे अपना रही है, जैसे महमूद गजनवी की सेना ने सोमनाथ मंदिर पर हमला करते समय किए थे। उन्होंने दावा किया कि खैबर पख्तूनख्वा में एक हजार से अधिक कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है।

इसी बीच बढ़ती महंगाई और पेट्रोल की कीमतों के खिलाफ जमात-ए-इस्लामी ने देशव्यापी धरने और प्रदर्शन की घोषणा की थी, जिसके बाद पुलिस ने जमात-ए-इस्लामी के अमीर हाफिज नईम उर रहमान और उनके सैकड़ों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ द्वारा जमात-ए-इस्लामी के साथ बातचीत शुरू करने के प्रयास को पार्टी ने ठुकरा दिया है।

लाहौर उच्च न्यायालय में गौहर अली खान द्वारा इमरान खान की तीनों बहनों की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका दायर की गई थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि इन महिलाओं के खिलाफ पेश की गई सामग्री को देखते हुए इन्हें रिहा नहीं किया जा सकता।

हूती विद्रोहियों और सऊदी अरब के बीच युद्ध जारी



इंकलाब (29 सितंबर) के अनुसार यमन के हूती विद्रोही समूह के प्रवक्ता याह्या सारी ने दावा किया कि सऊदी अरब की वायु सेना द्वारा यमन के ताइज शहर पर किए गए हवाई हमलों में 30 हूती लड़ाके और आठ नागरिक मारे गए हैं। इसके विपरीत, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त यमन की आधिकारिक सरकार ने घोषणा की है कि इन हमलों में नागरिक नहीं, बल्कि हूती विद्रोहियों के एक सैन्य शिविर और उनके सैन्य वाहनों को निशाना बनाया गया था। इससे पहले हूती समर्थित टेलीविजन चैनल 'अल-मसीरा' ने भी एक दिन पूर्व बाजार पर हुए सऊदी हवाई हमले में सात लोगों की मौत और कई के घायल होने की सूचना दी थी, जिस पर हूती प्रवक्ता ने मुंहतोड़ जवाब देने की चेतावनी दी।

दूसरी ओर, यमन सरकार के प्रवक्ता कर्नल माजिद अब्दुल्ला अल-नुजैली ने बताया कि उनकी सेना ने पिछले 72 घंटों में हूती ठिकानों पर 756 भीषण हमले किए हैं, जिनमें 2300 से अधिक हूती विद्रोही मारे गए हैं। मारे गए लोगों में ड्रोन और मिसाइल संचालन तकनीक में हूती विद्रोहियों

की मदद कर रहे चार ईरानी सैन्य विशेषज्ञ भी शामिल हैं।

हिंदुस्तान (25 सितंबर) के अनुसार सऊदी अरब ने हूतियों की छह बैलिस्टिक मिसाइलों हवा में ही मार गिराई और उनके लॉन्च प्लेटफॉर्म तबाह कर दिए।

चट्टान (20 सितंबर) के अनुसार हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद पर 12 बार मिसाइल और ड्रोन से हमले करने का दावा किया है।

अवधनामा (24 सितंबर) के अनुसार हूती प्रवक्ता याह्या सारी ने दावा किया है कि उन्होंने मोखा बंदरगाह के पास सऊदी अरब का एक चालक रहित चीनी लड़ाकू ड्रोन मार गिराया है, जिसे एविएशन कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना ने बनाया है। उन्होंने कहा कि हाल ही में चीन ने सऊदी अरब को जिन ड्रनों की आपूर्ति की थी, उनका इस्तेमाल हूतियों के खिलाफ किया जा रहा है। इसके साथ ही हूतियों ने सऊदी अरब के चार अन्य सैन्य विमानों को भी मार गिराने का दावा किया है। मार गिराए गए इस चीनी ड्रोन का नाम

‘विंग लूंग-2’ है। चीन ने यह ड्रोन सऊदी अरब को काफी मात्रा में आपूर्ति की है।

दूसरी ओर, जी-7 देशों के विदेश मंत्रियों ने एक बयान जारी कर यमन के हूती विद्रोहियों और सऊदी अरब के बीच जारी इस युद्ध पर चिंता व्यक्त की है। जी-7 देशों ने सऊदी अरब के खिलाफ जारी हूती हमलों की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए उसके साथ एकजुटता दिखाई है और ईरान से मांग की है कि वह हूतियों को हथियार तथा अन्य सैन्य सामग्री उपलब्ध कराना फौरन बंद करे।

अवधनामा (22 सितंबर) के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के विशेष आदेश पर यमन में हूतियों पर हमला करने के लिए तैयार अमेरिकी युद्ध विमानों को रोक दिया गया है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी प्रशासन में इस बात को लेकर गंभीर मतभेद हैं कि हूती विद्रोहियों और सऊदी अरब के बीच चल रहे युद्ध में अमेरिका को सीधा भाग लेना चाहिए या नहीं।

अवधनामा (21 सितंबर) के अनुसार यमन में सऊदी अरब के नेतृत्व में किए गए हवाई हमलों में अब तक 413 लोग मारे गए हैं, जिनमें हूतियों के 73 प्रमुख कमांडर और 25 शीर्ष सैन्य अधिकारी शामिल हैं। समाचारपत्र ने अपील की है कि मुसलमानों के जान-माल के नुकसान को रोकने के लिए इस्लामी जगत के नेताओं को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए।

औरंगाबाद टाइम्स (18 सितंबर) ने दावा किया है कि अमेरिका और हूती विद्रोहियों के बीच एक गुप्त समझौता हो चुका है, जिसके बाद अमेरिका ने हूतियों पर हमले न करने का फैसला किया है। सऊदी अरब ने अमेरिका के इस रुख को देखते हुए अन्य देशों से सैन्य उपकरण खरीदने के प्रयास तेज कर दिए हैं। इसके अतिरिक्त हूती विद्रोहियों के हमले के कारण सऊदी अरब का



तेल कारोबार प्रभावित हुआ है, क्योंकि लगातार जारी हमलों के कारण वह क्षतिग्रस्त हुई तेल पाइपलाइनों की मरम्मत नहीं कर पा रहा है। अपनी तेल आपूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए सऊदी अरब अब नए वैकल्पिक मार्गों की तलाश कर रहा है।

औरंगाबाद टाइम्स (17 सितंबर) के अनुसार अमेरिका और उसके सहयोगी देशों द्वारा हूतियों के खिलाफ अपेक्षित सैन्य सहायता उपलब्ध न कराने के कारण सऊदी अरब ने इजरायल से रक्षा सहयोग की मांग की है। हूतियों ने इस दौरान सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी ‘अरामको’ के आठ ठिकानों को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोनो से निशाना बनाने का दावा किया है, जिससे तेल संयंत्रों में आग लगने के कारण उत्पादन और आपूर्ति प्रभावित हुई है। इसके अतिरिक्त हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के खमीस मुशैत सैन्य अड्डे पर भी मिसाइलें दागने का दावा किया है, जिससे वहां खड़े लगभग एक दर्जन विमानों को नुकसान पहुंचा है।

मुंबई उर्दू न्यूज (17 सितंबर) के अनुसार सऊदी सरकार ने दावा किया है कि हूतियों ने मुसलमानों के पवित्र स्थल मक्का को निशाना बनाया है। इस्लामी सहयोग संगठन (ओआईसी) के मुताबिक सऊदी वायु सेना ने मक्का की प्रतिबंधित हवाई सीमा में प्रवेश करने से पहले ही एक हूती ड्रोन को हवा में मार गिराया। हूतियों ने

मदीना में 'ताइबाह' बिजली वितरण स्टेशन पर भी ड्रोन हमला किया, जो मस्जिद-ए-नबवी को बिजली आपूर्ति करता है। सऊदी सरकार और ओआईसी ने इन हमलों की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि इस्लाम के पवित्र स्थलों पर किसी भी हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने दुनिया के मुस्लिम देशों से हूतियों की इस कार्रवाई के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है।



सियासत (18 सितंबर) ने आरोप लगाया है कि हूतियों द्वारा मक्का और मदीना पर जो हमले किए गए हैं, वे पूरे इस्लामी जगत के लिए एक चुनौती के समान हैं। खुशी की बात यह है कि ये हमले सफल नहीं हुए, लेकिन ऐसे हमलों को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता और न ही कोई मुसलमान इसे कभी बर्दाश्त करेगा। पश्चिम एशिया की स्थिति को देखते हुए यह स्पष्ट है कि कुछ पश्चिमी देश जानबूझकर इस्लामी जगत को युद्ध की आग में धकेलने की साजिश कर रहे हैं। समाचारपत्र ने अपील की है कि मुसलमानों को 'काफिरों' के इन नापाक इरादों के प्रति सतर्क रहना चाहिए और उन्हें आपस में इस तरह नहीं उलझना चाहिए।

सियासत (17 सितंबर) ने अपने संपादकीय में मुस्लिम देशों से अपील की है कि वे ईरान, इराक और तुर्किये पर दबाव डालें ताकि इस क्षेत्र में यूरोपीय देशों द्वारा युद्ध की ज्वाला भड़काने की जो साजिश हो रही है उसे विफल किया जा सके।

एतेमाद (20 सितंबर) ने लिखा है कि हूतियों ने पूरी ताकत से सऊदी अरब पर जो हमले किए हैं उसके पीछे किसका हाथ है, इस विषय पर मुस्लिम देशों को गंभीरता से विचार करना चाहिए। ब्रिटिश मीडिया के अनुसार यमन के हूती विद्रोही अब गाइडेड मिसाइलों और रॉकेटों का

आधुनिक स्वरूप विकसित कर चुके हैं, जिनकी मारक क्षमता एक हजार किलोमीटर से भी अधिक है। यदि यह जानकारी सही है तो सऊदी अरब के लिए सुरक्षा संबंधी चुनौतियां काफी बढ़ जाएंगी। हालांकि, सऊदी सरकार के यूरोपीय देशों और अमेरिका के साथ घनिष्ठ संबंध है, लेकिन इसके बावजूद वह पिछले 20 वर्षों में हूतियों पर नियंत्रण पाने में विफल रहा है। वर्ष 2004 में हूतियों ने यमन में सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह किया था और 2014 में उन्होंने यमन की राजधानी साना समेत देश के दो तिहाई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। 2015 में सऊदी अरब के नेतृत्व में हूतियों के खिलाफ एक सैन्य गठबंधन भी बनाया गया, लेकिन यह गठबंधन उन्हें रोकने में पूरी तरह विफल रहा। वर्तमान स्थिति यह है कि हूतियों ने सऊदी अरब के तेल प्रतिष्ठानों और आपूर्ति मार्गों को निशाना बनाकर उसे आर्थिक रूप से पंगु बना दिया है।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (19 सितंबर) ने हूतियों द्वारा इस्लाम के धार्मिक स्थलों पर किए जाने वाले हमलों की निंदा की है। समाचारपत्र ने कहा है कि सऊदी अरब पर इन पवित्र धार्मिक स्थलों की रक्षा करने और हज व उमराह के लिए आने वाले करोड़ों मुसलमानों को सुरक्षा प्रदान करने की बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए यदि इन पवित्र स्थानों पर हमला होता है तो यह पूरे इस्लामी जगत के लिए भारी तबाही का संकेत है।

ईरान का अमेरिका के साथ वार्ता से इनकार



इंकलाब (29 सितंबर) के अनुसार ईरान ने अमेरिका के साथ किसी भी वार्ता की संभावना से साफ इनकार कर दिया है। ईरान सरकार ने स्पष्ट किया है कि न्यूयॉर्क में मौजूद ईरानी प्रतिनिधिमंडल की अमेरिकी अधिकारियों के साथ बातचीत शुरू करने की कोई योजना नहीं है। यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के उस वक्तव्य के बाद सामने आया है, जिसमें उन्होंने इसी सप्ताह ईरान के साथ वार्ता शुरू होने की आशा जताई थी। राष्ट्रपति ट्रम्प ने एक दिन पहले ईरान की ओर से भेजे गए उस शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया था, जिसमें अमेरिका द्वारा आर्थिक प्रतिबंध हटाने के बदले होर्मुज जलडमरूमध्य को सात दिनों के भीतर दोबारा खोलने की बात कही गई थी। ट्रम्प द्वारा इस प्रस्ताव को अस्वीकार किए जाने के बाद ही ईरान ने सभी संभावित वार्ताओं पर पूरी तरह विराम लगा दिया है।

इससे पहले ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा था कि तेहरान अब भी इस समस्या का राजनीतिक व राजनयिक समाधान चाहता है और इसके लिए वह मध्यस्थों के माध्यम से अमेरिकी प्रस्ताव का इंतजार कर रहा है। उन्होंने कहा कि बातचीत में गतिरोध का मुख्य कारण यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच

होर्मुज जलडमरूमध्य, परमाणु ऊर्जा और वित्तीय प्रतिबंधों जैसे मामलों पर गहरे मतभेद हैं।

इंकलाब (27 सितंबर) के अनुसार ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशिकयान संयुक्त राष्ट्र के अधिवेशन में भाग लेने के बाद वापस तेहरान खाना हो गए हैं। इसके साथ ही राष्ट्रपति ट्रम्प के साथ उनकी संभावित मुलाकात की अटकलों पर भी विराम लग गया है। ईरानी मीडिया के अनुसार ईरानी राष्ट्रपति ने ईरान पर मंडरा रहे मौजूदा संकट को लेकर पाकिस्तान, स्विट्जरलैंड, इराक, बांग्लादेश, नार्वे, आर्मेनिया, नीदरलैंड और लेबनान के राष्ट्राध्यक्षों के साथ विचार-विमर्श किया था। इससे पहले उन्होंने अमेरिकी टेलीविजन चैनल 'सीबीएस' को दिए एक इंटरव्यू में स्पष्ट किया था कि ईरान युद्ध नहीं चाहता है और वह पश्चिम एशिया में शांति का समर्थक है। हालांकि, उन्होंने चेतावनी भी दी कि यदि ईरान पर युद्ध थोपा गया तो वे इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। पेजेशिकयान ने अमेरिका और इजरायल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ये देश विभिन्न मुस्लिम देशों को आपस में लड़वाने की साजिश रच रहे हैं ताकि इस क्षेत्र के तेल भंडारों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सकें।

मुंबई उर्दू न्यूज (25 सितंबर) के अनुसार ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मोहसिन रेजाई ने स्पष्ट किया है कि जब तक ईरान की शर्तें पूरी नहीं की जातीं तब तक अमेरिका के साथ कोई वार्ता नहीं होगी। ईरान की शर्तों में सभी मोर्चों पर युद्ध का खात्मा, अमेरिकी अतिक्रमण को रोकना, समुद्र की नाकेबंदी हटाना, आर्थिक प्रतिबंधों को वापस लेना और फ्रीज की गई ईरानी संपत्तियों को जारी करना शामिल है। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक ये शर्तें पूरी नहीं

होतीं तब तक होर्मुज जलडमरूमध्य को जहाजों के लिए खोला नहीं जाएगा।

हिंदुस्तान (27 सितंबर) के अनुसार चीन में नियुक्ति अमेरिकी राजदूत डेविड परड्यू ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीनी राष्ट्रपति के साथ हुई बातचीत में यह स्पष्ट कर दिया है कि वे ईरान को किसी भी प्रकार की सैन्य या खुफिया सहायता उपलब्ध न कराएं। अमेरिका इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगा और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

उर्दू टाइम्स (28 सितंबर) के अनुसार अमेरिकी खुफिया विभाग ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि यदि अमेरिका का सऊदी अरब के साथ समझौता हो जाता है तो उसे परमाणु बम बनाने की पूरी छूट होगी।

औरंगाबाद टाइम्स (23 सितंबर) के अनुसार संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते



हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान को चेतावनी दी थी कि यदि उसने अमेरिका के साथ समझौता नहीं किया तो उसका नामोनिशान मिटा दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि इस युद्ध की शुरुआत अमेरिका ने नहीं की थी, बल्कि उसने केवल इस क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की थी।

संयुक्त राष्ट्र में इजरायली प्रधानमंत्री के भाषण का 75 देशों द्वारा बहिष्कार

इंकलाब (26 सितंबर) के अनुसार संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भाषण का 75 देशों के प्रतिनिधियों ने बहिष्कार किया। इसके बावजूद उन्होंने अपने भाषण में गाजा में इजरायल द्वारा की गई सैन्य कार्रवाई को पूरी तरह उचित ठहराया। उन्होंने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया कि इजरायल गाजा में नरसंहार कर रहा है और इस दावे को 'शताब्दी का सबसे बड़ा झूठ' बताया। इससे पहले जैसे ही प्रधानमंत्री नेतन्याहू भाषण देने के लिए मंच पर आए, फिलिस्तीनी जनता के साथ एकजुटता दिखाते हुए दर्जनों देशों के प्रतिनिधि सभा से उठकर बाहर चले गए। नेतन्याहू ने इस बहिष्कार की परवाह न करते हुए कहा कि "अगर इस हॉल में कोई और 'नैतिक कायर' बचा है तो वह भी अभी बाहर जा सकता है।" उन्होंने जोर

देकर कहा कि इजरायल अपनी संप्रभुता और अस्तित्व की रक्षा के लिए यह युद्ध लड़ रहा है, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि लोग उनके देश और सैनिकों के खिलाफ झूठ फैला रहे हैं।

एक अन्य समाचार के अनुसार जब इजरायली प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे तब उनके खिलाफ हजारों की संख्या में फिलिस्तीन समर्थकों ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय और न्यूयॉर्क की सड़कों पर भारी विरोध प्रदर्शन किया। इसके जवाब में इजरायल समर्थकों ने भी प्रदर्शन किया और अपनी सरकार से आतंकवादियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई जारी रखने की मांग की। सड़कों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए न्यूयॉर्क पुलिस ने 103 लोगों को गिरफ्तार किया, जिन्हें बाद में रिहा कर दिया गया।

संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए आयरलैंड के प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय फिलिस्तीनियों के अधिकारों का संरक्षण करने में पूरी तरह विफल रहा है। उन्होंने गाजा और वेस्ट बैंक में आम नागरिकों की लगातार हो रही हत्याओं का विशेष रूप से उल्लेख किया।

मार्टिन ने कहा कि अक्टूबर 2025 में इजरायल और हमास के बीच जो गाजा शांति योजना बनी थी, वह जमीनी हकीकत बदलने में नाकाम रही। इजरायल ने अपने हमले जारी रखे और पीड़ितों तक मानवीय सहायता पहुंचाने के रास्ते में बाधाएं खड़ी कीं। उन्होंने वेस्ट बैंक में गैर-कानूनी रूप से यहूदी बस्तियां बसाने की भी कड़ी निंदा की। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग जानबूझकर दो राष्ट्र सिद्धांत को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं।

एतेमाद (18 सितंबर) के अनुसार अमेरिका ने फिलिस्तीनी अथॉरिटी के अध्यक्ष महमूद अब्बास समेत लगभग 80 फिलिस्तीनी अधिकारियों को वीजा देने से इनकार कर दिया है, जिससे वे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में शामिल नहीं हो सके। अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया कि फिलिस्तीनी अथॉरिटी और फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने शांति प्रयासों के अपने वादों को पूरा नहीं किया है और वे आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, इसलिए अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में उन्हें देश में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में दुनिया के 157 देश फिलिस्तीन को एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता देते हैं। इनमें हाल के वर्षों में मान्यता देने वाले ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे प्रमुख देश भी



शामिल हो चुके हैं। हालांकि, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थाई सदस्यों में से अमेरिका ने अब तक फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता नहीं दी है।

उर्दू टाइम्स (24 सितंबर) के अनुसार तुर्किये के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया में इस्लाम के प्रति दुश्मनी और इस्लामोफोबिया बहुत तेज से फैल रहा है। उन्होंने आलोचना करते हुए कहा कि वैश्विक शांति बनाए रखने के लिए स्थापित संयुक्त राष्ट्र का महत्व दिन-प्रतिदिन कम होता जा रहा है, इसलिए वर्तमान प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने फिलिस्तीन का उल्लेख करते हुए कुछ बड़े देशों के अन्यायपूर्ण रवैये की निंदा करते हुए कहा कि फिलिस्तीनी अथॉरिटी के प्रमुख महमूद अब्बास को वीजा जटिलताओं के चलते लगातार दो वर्षों से इस हॉल में आने की अनुमति न मिलना वैश्विक व्यवस्था का एक बड़ा अन्याय है। उन्होंने संकल्प लिया कि तुर्किये हमेशा एक स्वतंत्र और संप्रभु फिलिस्तीन के समर्थन में अपनी आवाज उठाता रहेगा।

अपने भाषण में एर्दोगन ने कश्मीर मुद्दे का उल्लेख करते हुए कहा कि दक्षिण एशिया के तमाम विवादों, जिसमें कश्मीर भी शामिल है, को संयुक्त राष्ट्र के चार्टर और उसके प्रस्तावों के दायरे में बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए।

इजरायली प्रधानमंत्री का यूएई का गुप्त दौरा

उर्दू टाइम्स (29 सितंबर) के अनुसार इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की राजधानी अबू धाबी का एक गुप्त दौरा किया, जहां उन्होंने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। इजरायली विदेश मंत्रालय के एक उच्चाधिकारी ने ब्रिटिश न्यूज एजेंसी 'रॉयटर्स' से बातचीत में इस बैठक की पुष्टि की है। हालांकि, शुरुआत में यूएई के विदेश मंत्रालय की ओर से इस संदर्भ में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया था। इस दौर को पूरी तरह गोपनीय रखा गया था। इजरायली मीडिया के अनुसार नेतन्याहू अचानक अबू धाबी पहुंचे और वहां उन्होंने यूएई के राष्ट्रपति के साथ क्षेत्रीय सुरक्षा और ईरान से जुड़ी चुनौतियों पर विस्तृत चर्चा की। इसके बाद वे इजरायल लौट गए। बाद में यूएई की आधिकारिक न्यूज एजेंसी 'वाम' ने भी इस बैठक की पुष्टि करते हुए दोनों नेताओं की मुलाकात के संदर्भ साझा किए।

गौरतलब है कि इजरायल और यूएई के बीच वर्ष 2020 में 'अब्राहम समझौते' के तहत राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। हाल ही में यह संबंध बड़े विवाद के कारण चर्चा का केंद्र बन गया। इजरायली अखबार 'हारेत्ज' ने यह सनसनीखेज दावा किया था कि यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमस के हमले से करीब



10 दिन पहले प्रधानमंत्री नेतन्याहू को फोन कर हमस द्वारा एक बड़े हमले की पूर्व सूचना दी थी।

इस खुलासे से इजरायल की राजनीति में एक बड़ा तूफान आ गया है। हाल ही में इजरायली खुफिया और सैन्य सुरक्षा हलकों में जवाबदेही को लेकर भारी उथल-पुथल देखी गई है। इजरायल के विपक्षी दलों का आरोप है कि नेतन्याहू ने जानबूझकर इस महत्वपूर्ण खुफिया चेतावनी को नजरअंदाज किया और देश के सुरक्षा तंत्र को इसकी जानकारी नहीं दी। इस बड़े राजनीतिक विवाद और आगामी चुनावों को देखते हुए नेतन्याहू का हालिया यूएई दौरा बेहद महत्वपूर्ण हो गया है।

अगले दो महीने में इजरायल में चुनाव होने वाले हैं। ऐसी स्थिति में इस खुलासे ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के राजनीतिक अस्तित्व के लिए बड़ा संकट पैदा कर दिया है। इजरायल के चार प्रमुख विपक्षी नेताओं ने एक संयुक्त बयान जारी कर इस आरोप की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।

इथियोपिया फिर से गृहयुद्ध की चपेट में

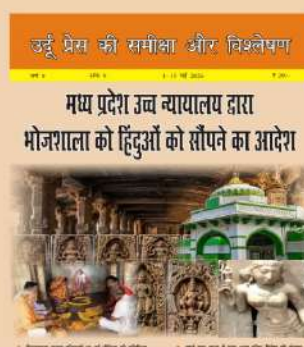
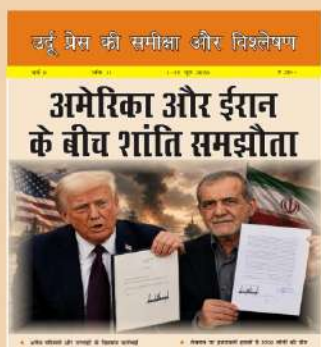
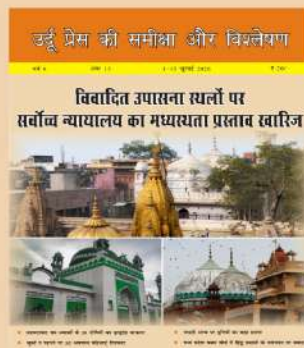
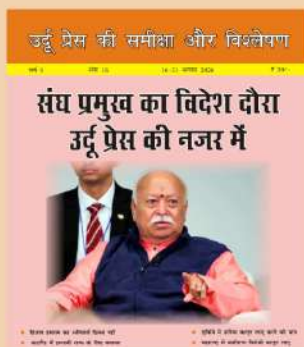


उर्दू टाइम्स (25 सितंबर) के अनुसार इथियोपिया में गृहयुद्ध की ज्वाला एक बार फिर भड़क उठी है। विद्रोही संगठन तिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट ने सरकारी सेना पर अचानक बड़ा हमला कर दिया है। विद्रोहियों ने शुरुआत में मेकेले, शाइरे और अक्सुम के सैन्य ठिकानों और हवाई अड्डों पर कब्जा कर लिया था, जिसके चलते इथियोपियन एयरलाइंस ने इन क्षेत्रों के लिए अपनी उड़ान सेवाएं तुरंत निलंबित करने की घोषणा की। विदेशी न्यूज एजेंसियों के मुताबिक अफार और अम्हारा के सीमावर्ती क्षेत्रों में विद्रोही गुटों और सरकारी सेना के बीच भीषण युद्ध छिड़ा हुआ है। दोनों पक्ष अपनी-अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। सरकार ने राजधानी अदीस अबाबा से भारी टैंक, तोपें और नए सैन्य दस्तों को युद्धग्रस्त क्षेत्रों में भेजा है। वायु सेना के विमानों के जरिए सैनिकों को पैराशूट से उतारा जा रहा है और विद्रोही ठिकानों पर ड्रोन व हवाई हमले तेज कर दिए गए हैं। इसके परिणामस्वरूप सरकारी सुरक्षा बलों ने तिग्रे

की राजधानी मेकेले और वहां के हवाई अड्डों को विद्रोहियों के नियंत्रण से वापस छुड़ा लिया है।

विद्रोही गतिविधियों में आई इस तेजी का मुख्य कारण यह है कि प्रधानमंत्री अबी अहमद की सरकार का तख्तापलट करने के लिए सात प्रमुख सशस्त्र गुटों ने एक नया गठबंधन बना लिया है, जिसे 'अलाइंस फॉर सर्वाइवल' नाम दिया गया है।

गौरतलब है कि तिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट और इथियोपिया की सरकार के बीच वर्ष 2020 से लेकर 2022 तक एक विनाशकारी गृहयुद्ध चला था, जिसमें दोनों पक्षों के लाखों लोग मारे गए थे। इसके बाद नवंबर 2022 में दोनों पक्षों के बीच दक्षिण अफ्रीका में समझौता हुआ था। वर्तमान में विद्रोहियों ने इस समझौते को पूरी तरह अमान्य घोषित कर दिया है, जिसके कारण दोनों पक्षों में फिर से भीषण युद्ध की शुरुआत हो गई है। इथियोपिया सरकार का आरोप है कि इन विद्रोही गुटों को इरिट्रिया, मिस्र और सूडान जैसे पड़ोसी देशों का समर्थन प्राप्त है।



भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation

डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016

दूरभाष : 011-79687620

ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolity@gmail.com

वेबसाइट : www.ipf.org.in